न्यायालय–सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला–ग्वालियर (म0प्र0)
जमानत आवेदन क्रमांक 2849/2022

किशनलाल बंजारा उर्फ लाला पुत्र रोशनसिंह
बजांरा, आयु 20 वर्ष व्यवसाय भोजनालाय,
निवासी हनुमान टेकरी पनिहार, जिला ग्वालियर
.....................आवेदक/आरोपी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केंद्र थाना घाटीगांव
जिला ग्वालियर (म.प्र.)
...................................अभियोगी

12.10.2022
पुनश्चः–

यह जमानत आवेदन पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, के आदेशानुसार अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से श्री सुरेन्द्र पाराशर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक राज्य की ओर से श्री घनश्याम मंगल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना घाटीगांव जिला ग्वालियर के अपराध क्रमांक 0120/2022 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. गिरफ्तारी दिनांक 07.10.2022 की केस डायरी मय कैफियत के प्राप्त, साथ ही उक्त अपराध से संबंधित बंडल पत्रावली न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, ग्वालियर श्री अमन सुलिया के न्यायालय से प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से जमानत आवेदन में दर्शाया गया है कि यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. प्रथम आवेदन पत्र होकर इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी भी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। इस संबंध में समर्थन कारी शपथ पत्र दिनांक 11.10.2022 को उस्ताज बंजारा का प्रस्तुत किया है।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 439 द.प्र.सं. का निराकरण किया जा

रहा है।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक का उक्त अपराध से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध, सरोकार नहीं है। आवेदक को उक्त प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 09.10.2022 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक जिला ग्वालियर का स्थाई निवासी है। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने लिखित जवाब नहीं देना प्रकट कर आवेदन पर आपत्ति व्यक्त की और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

तर्क सुनने के पश्चात् अपराध क्रमांक 0120/2022 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. की केस डायरी एवं रिमांड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त किशनलाल बंजारा को पुलिस थाना घाटीगांव जिला ग्वालियर के अपराध क्रमांक 0120/2022 धारा 379 भा.द.सं. में गिरफ्तार किया गया है, जो अभिरक्षा में निरूद्ध है। केस डायरी के अनुसार फरियादी मंगल पुत्र राजकुमार ने दिनांक 26.09.2022 को अपनी मोटरसाईकिल होण्डा ड्रीम सीबी 110 सिमरिया तिराहे के पहले माता मंदिर के सामने घाटी पर खड़ी करके मंदिर में जाने और वापिस लौटने पर गाड़ी रखे हुए स्थान पर न मिलने और गाड़ी चोरी होने के संबंध में पुलिस थाना घाटीगांव में दर्ज करायी, जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0120/2022 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. दर्ज किया गया। उक्त अपराध के संबंध में आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

आवेदक/आरोपी किशनलाल बंजारा पर इस प्रकरण में आरोपित अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोपी जिला ग्वालियर का स्थाई निवासी होना दर्शाया गया है उसके फरार होने की संभावना प्रकट नहीं है। आरोपी दिनांक 08.10.2022 से निरंतर अभिरक्षा में होकर प्रकरण के निराकरण में समय लगना भी संभावित है। आरोपी 20 वर्षीय नवयुवक भी है।

अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी किशनलाल बंजारा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन धारा 439 दप्रसं स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि आरोपी किशनलाल बंजारा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर (श्री अमन सुलिया) के न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000／– रूपये की एक **स्थानीय** सक्षम प्रतिभूति तथा 25,000／– रूपये की राशि का व्यक्तिगत मुचलका निम्नलिखित शर्तो पर पेश करें तो आरोपी किशनलाल बंजारा को जमानत पर छोडा जावेः–

1. आरोपी／आवेदक प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
2. आरोपी／आवेदक प्रकरण की साक्ष्य प्रभावित नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित रिमांड पत्रावली संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जाये तथा एक प्रति सहित केस डायरी वापिस की जाये ।

आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदाय की जावे एवं अभियुक्त के जेल में होने की दशा में जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल ग्वालियर की ओर भेजी जावे।

आवेदन निराकृत।

परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार मे जमा किया जावे। सही／

(रवि झारोला)
सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला ग्वालियर म.प्र.

RAVI ZAROLA

Digitally signed by RAVI ZAROLA
Date: 2022.10.12 16:17:21 +0530